

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 29-07-2026

विषय सूची

विश्व राजनीति में एथिक्स एवं भावनाओं की भूमिका

सीबीडीटी द्वारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के ढाँचे के अनुरूप क्रिष्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन संबंधी दिशानिर्देश जारी

भारत की नवाचार रणनीति की आगामी दिशा

भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए वित्तपोषण

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

संक्षिप्त समाचार

गुरु रविदास

ई-जीरो प्रथम सूचना प्रतिवेदन(FIR) प्रणाली

द्विप्ति योजना (विकेंद्रीकृत महिला सशक्तीकरण : ऊर्जा एवं नीतिगत रूपांतरण के माध्यम से समावेशन)

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल एवं पंचायत राज संस्थाओं के लिए आदर्श स्वस्रोत राजस्व नियम

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बना

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

एंद्रोमेडा आकाशगंगा

बुकर पुरस्कार 2026

विश्व राजनीति में एथिक्स एवं भावनाओं की भूमिका

संदर्भ

- पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक घटनाक्रम, इजराइल-हमास संघर्ष तथा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े विवादों ने पुनः इस प्रश्न को केंद्र में ला दिया है कि क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल राष्ट्रीय हितों द्वारा संचालित होते हैं, अथवा इनमें एथिक्स, भावनाएँ और नैतिक वैधता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध: राष्ट्रीय हित से परे

- परंपरागत रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन एक ऐसे विषय के रूप में किया गया है, जिसका मुख्य सरोकार शक्ति, सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित से संबंधित प्रश्नों से होता है।
- कूटनीति की भाषा में प्रतिरोध, शक्ति संतुलन, रणनीतिक स्वायत्तता तथा सुरक्षा जैसे शब्द प्रमुख स्थान रखते हैं।
- किन्तु वर्तमान वैश्विक संकट यह सिद्ध करते हैं कि विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों से ही संचालित नहीं होती, बल्कि उस पर एथिक्स, भावनाएँ, पहचान तथा जनमत का भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास

- पाश्चात्य बौद्धिक प्रभाव : आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास मुख्यतः पाश्चात्य अनुसंधान के प्रभाव में हुआ, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात।
- प्रसिद्ध विद्वान स्टेनली हॉफमैन ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को “एक अमेरिकी सामाजिक विज्ञान” की संज्ञा दी है।
- आधुनिक सिद्धांतों, संस्थाओं तथा कूटनीतिक परंपराओं का निर्माण यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभुत्व तथा उसके पश्चात अमेरिकी बौद्धिक नेतृत्व के प्रभाव में हुआ।
- हैंस जे. मॉर्गेन्थाउ, जिन्हें शास्त्रीय यथार्थवाद का जनक माना जाता है, ने प्रतिपादित किया कि विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित तथा शक्ति होते हैं।

प्रमुख अवधारणाएँ एवं अर्थ

- यथार्थवाद:** शक्ति एवं राष्ट्रीय हित राज्यों के व्यवहार को संचालित करते हैं।
- अराजकता :** ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें कोई सर्वोच्च वैश्विक संप्रभु प्राधिकरण विद्यमान नहीं होता।
- राष्ट्रीय हित :** विदेश नीति का मार्गदर्शन करने वाला प्रमुख उद्देश्य।
- नैतिक वैधता :** नैतिक मानकों के आधार पर किसी कार्य या निर्णय की स्वीकार्यता।

- रणनीतिक स्वायत्तता:** किसी शक्ति-गुट के साथ औपचारिक रूप से संबद्ध हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की क्षमता।
- सॉफ्ट पावर :** संस्कृति, मूल्यों तथा कूटनीति के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता।

एथिक्स एवं भावनाओं का बढ़ता महत्त्व

- एथिक्स** से तात्पर्य उन नैतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों से है, जो विश्व राजनीति में राज्यों, नेताओं तथा संस्थाओं के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं।
- भावनाएँ** से आशय सहानुभूति, भय, गौरव, क्रोध तथा करुणा जैसी अनुभूतियों से है, जो नेताओं एवं समाजों की धारणाओं तथा निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
 - हाल के विद्वानों का मत है कि तर्क और भावना परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।
- नेटा क्रॉफर्ड** के अनुसार, भय, शोक, क्रोध, लज्जा, सहानुभूति तथा गौरव जैसी भावनाएँ राजनीतिक निर्णय-निर्माण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
 - ये भावनाएँ खतरे की धारणा, राष्ट्रीय पहचान, नीतिगत विकल्पों तथा संघर्षों के प्रति जनसमर्थन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- ब्रेंट सेस्ले** का तर्क है कि नेता सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश के भीतर निर्णय लेते हैं, जहाँ पहचान तथा सामूहिक भावनाएँ राज्य के व्यवहार को आकार देती हैं।

एथिक्स एवं भावनाएँ क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- विदेश नीति को आकार देना:** इतिहास के प्रत्येक काल में एथिक्स विश्व राजनीति का अभिन्न अंग रही है।
 - मूल्य एवं भावनाएँ यह निर्धारित करती हैं कि राज्य किन देशों के साथ मैत्री स्थापित करेंगे, संघर्षों का समाधान कैसे करेंगे तथा सहयोग को किस प्रकार विकसित करेंगे।
 - शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक प्रस्तुत किया।
 - वहीं, सोवियत संघ को अधिनायकवाद के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया।
- जनमत को प्रभावित करना:** जनता की भावनाएँ (जैसे- क्रोध, सहानुभूति एवं गौरव) सरकारों की नीतियों तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को प्रभावित कर सकती हैं।
- शांति एवं न्याय को प्रोत्साहित करना:** एथिक्स मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा तथा अंतरराष्ट्रीय विधि के सम्मान को प्रोत्साहित करती है।

- **विश्वास एवं एकजुटता का निर्माण:** सहानुभूति तथा नैतिक उत्तरदायित्व साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु वैश्विक साझेदारियों को सुदृढ़ करते हैं।

विश्व राजनीति को एथिक्स एवं भावनाएँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं?

- **निर्णय-निर्माण:** नेताओं की नैतिक मान्यताएँ एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ संकट, युद्ध तथा वार्ताओं में उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
- **संघर्ष एवं सहयोग:** भय एवं घृणा जैसी भावनाएँ संघर्षों को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि सहानुभूति एवं क्षमा मेल-मिलाप को प्रोत्साहित करती हैं।
- **वैश्विक मानदंड:** नैतिक विचार अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों एवं संस्थाओं (जैसे- मानवाधिकार, जलवायु न्याय तथा संरक्षण की उत्तरदायित्व संबंधी अवधारणा) को आकार देते हैं।
- **सौम्य शक्ति:** नैतिक मूल्य एवं भावनात्मक आकर्षण किसी देश की छवि तथा प्रभाव को सुदृढ़ करते हैं (जैसे- अहिंसा, मानवीय सहायता एवं सांस्कृतिक कूटनीति)।

वैश्वीकरण पर नैतिक दृष्टिकोण

- वैश्वीकरण ने आर्थिक परस्पर निर्भरता, साझा समृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का वादा किया।
- इससे व्यापार का विस्तार, प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा अनेक क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई।
- किंतु वैश्विक उत्तर एवं वैश्विक दक्षिण के मध्य बनी हुई असमानताएँ, लाभों का असमान वितरण तथा समावेशी विकास के नैतिक वादों की अपूर्णता आज भी चुनौती बनी हुई है।

डिजिटल युग में एथिक्स का महत्त्व

- आधुनिक संघर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक मीडिया, डिजिटल पत्रकारिता, नागरिक प्रतिवेदन, अंतरराष्ट्रीय जन-अभियानों तथा त्वरित संचार के कारण अभूतपूर्व वैश्विक निगरानी के अंतर्गत घटित होते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप:
 - नागरिकों की पीड़ा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है।
 - कूटनीति पर जनमत का प्रभाव बढ़ जाता है।
 - सरकारों की जवाबदेही अधिक हो जाती है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समकालीन चुनौतियाँ

- **राष्ट्रीय हित बनाम एथिक्स:** राज्यों को रणनीतिक उद्देश्यों, मानवीय सिद्धांतों तथा अंतरराष्ट्रीय विधि के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता एवं वैश्विक अपेक्षाएँ:** भारत जैसे देशों को विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने के साथ-साथ वैश्विक संकटों तथा महाशक्तियों के दबाव का भी सामना करना पड़ता है।
- **मानवीय संकट एवं जनमत:** वैश्विक जनमत वास्तविक समय के मीडिया कवरेज के आधार पर संघर्षों (जैसे- गाज़ा एवं यूक्रेन) का मूल्यांकन कर रहा है।
- **बढ़ती शक्ति प्रतिद्वंद्विता:** महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन तथा रूस-पश्चिमी देश) वैश्विक सहयोग को कठिन बना रही है।
- **प्रौद्योगिकी एवं सूचना युद्ध:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर आक्रमण, दुष्प्रचार तथा डिजिटल निगरानी कूटनीति एवं सुरक्षा की प्रकृति को परिवर्तित कर रहे हैं।
- **वैश्विक शासन में सुधार:** संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व व्यापार संगठन पर वैश्विक दक्षिण का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा समकालीन चुनौतियों का समाधान करने हेतु पुनर्गठन का दबाव बढ़ रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ:** जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद तथा ऊर्जा अस्थिरता जैसी चुनौतियों के समाधान हेतु पारंपरिक सैन्य उपायों से आगे बढ़कर सामूहिक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है।

भारत का दृष्टिकोण

- **भारतीय विदेश नीति:** भारत ने सदैव 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (महा उपनिषद् से उद्धृत), रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद तथा उपनिवेशवाद-विरोधी विरासत पर बल दिया है।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन:** यह शीत युद्ध के दौरान केवल एक भू-राजनीतिक विकल्प नहीं था, बल्कि संप्रभु समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता तथा न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आकांक्षा का प्रतीक था।
- **भारत की नैतिक प्रतिष्ठा:** विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता, विधि के शासन, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा उत्तरदायी वैश्विक सहभागिता के कारण भारत की वैश्विक छवि सुदृढ़ हुई है।

संवैधानिक संबंध

- **अनुच्छेद 51:** अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रावधान।
- **राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व:** अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करते हैं।

वास्तविक उदाहरण

- **महात्मा गांधी का अहिंसा सिद्धांत:** भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने सत्य एवं अहिंसा के नैतिक सिद्धांतों को अपनाया, जिसने विश्वभर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया।
- **नेल्सन मंडेला का सामंजस्य :** क्षमा एवं सहानुभूति ने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के पश्चात सामाजिक पुनर्निर्माण तथा लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में सहायता प्रदान की।
- **‘फिर कभी नहीं’ – यहूदी नरसंहार की स्मृति:** नैतिक उत्तरदायित्व एवं सामूहिक स्मृति ने मानवाधिकारों तथा नरसंहार की रोकथाम से संबंधित वैश्विक मानदंडों को आकार दिया।
- **जलवायु न्याय आंदोलन:** चिंता, आक्रोश एवं आशा जैसी भावनाओं ने युवाओं तथा देशों को जलवायु कार्रवाई एवं समानता की माँग के लिए संगठित किया।

आगे की राह

- यथार्थवाद एवं नैतिक कूटनीति के मध्य संतुलन स्थापित किया जाए।
- लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी विकास के माध्यम से भारत की सौम्य शक्ति को सुदृढ़ किया जाए।
- रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कायम रखी जाए।
- न्यायपूर्ण एवं नियम-आधारित वैश्विक शासन के माध्यम से वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व में भारत की भूमिका को सशक्त बनाया जाए।
- अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक एवं न्यायसंगत बनाने हेतु उनके सुधार का समर्थन किया जाए।

Source: TH

सीबीडीटी द्वारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के ढाँचे के अनुरूप क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन संबंधी दिशानिर्देश जारी

संदर्भ

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** ने आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत **क्रिप्टो परिसंपत्तियों की प्रतिवेदन संबंधी बाध्यताओं** पर एक मार्गदर्शक टिप्पणी जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के कर प्रतिवेदन ढाँचे को **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन ढाँचे के अनुरूप बनाना** है।

मार्गदर्शक टिप्पणी की आवश्यकता

- क्रिप्टो परिसंपत्तियों के तीव्र विस्तार ने पारंपरिक वित्तीय प्रणाली से बाहर परिसंपत्तियों का हस्तांतरण एवं धारण करना अधिक सरल बना दिया है, जिससे कर अपवंचन का पता लगाना कठिन हो गया है।
- वर्तमान वैश्विक कर प्रतिवेदन मानक, जैसे **सामान्य प्रतिवेदन मानक**, क्रिप्टो परिसंपत्तियों को पर्याप्त रूप से समाहित नहीं करते।
- इसलिए, भारत ने कर अनुपालन एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रतिवेदन ढाँचे को **ओईसीडी के क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन ढाँचे के अनुरूप बनाया** है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ

- **क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार, क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ** ऐसी मूल्य की डिजिटल अभिव्यक्ति हैं, जो कूटलेखन-सुरक्षित वितरित बही-खाता प्रणाली अथवा समान प्रौद्योगिकी पर आधारित होती हैं, जो लेन-देन का सत्यापन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- इसमें **क्रिप्टो मुद्राएँ** तथा कूटलेखन-आधारित टोकन सम्मिलित हैं।
- **मूल्य की डिजिटल अभिव्यक्ति** का अर्थ है कि क्रिप्टो परिसंपत्ति किसी मूल्य पर अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके स्वामित्व या अधिकार का डिजिटल माध्यम से अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को हस्तांतरण अथवा व्यापार किया जा सकता है।

ओईसीडी का क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन ढाँचा क्या है?

- **क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रतिवेदन ढाँचा** एक वैश्विक कर पारदर्शिता ढाँचा है, जिसे ओईसीडी ने वर्ष 2022 में विकसित किया था।
- इसे **जी-20 बाली नेताओं की घोषणा (2022)** में अनुमोदित किया गया।
- **कर उद्देश्यों हेतु पारदर्शिता एवं सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक मंच** इसके कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि कर प्राधिकरणों को क्रिप्टो लेन-देन की वही जानकारी प्राप्त हो, जैसी उन्हें **सामान्य प्रतिवेदन मानक** के अंतर्गत बैंक खातों के संबंध में प्राप्त होती है।
- यह ढाँचा **निम्न पर लागू होता है:** प्रासंगिक क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ, जिनमें क्रिप्टो मुद्राएँ तथा भुगतान अथवा निवेश के लिए प्रयुक्त अन्य क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ सम्मिलित हैं।

- प्रतिवेदन करने वाले क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाता, जैसे- क्रिप्टो विनिमय मंच, दलाल, व्यापारी तथा अन्य मध्यस्थ, जो क्रिप्टो लेन-देन को सुगम बनाते हैं।
- ऐसे सभी घरेलू एवं सीमा-पार क्रिप्टो लेन-देन, जो प्रतिवेदन करने वाले सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किए जाते हैं।

मार्गदर्शक टिप्पणी के प्रमुख प्रावधान

- क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं की प्रतिवेदन संबंधी बाध्यताएँ निम्नलिखित हैं:
 - अपने ग्राहक को जानें प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहकों का सत्यापन करना।
 - प्रत्येक ग्राहक की कर रेजिडेंसी स्थिति का निर्धारण करना।
 - उपयोगकर्ताओं से करदाता पहचान संख्या तथा स्व-प्रमाणीकरण प्राप्त करना।
 - सभी प्रतिवेदनीय क्रिप्टो लेन-देन का अभिलेख सुरक्षित रखना।
 - प्रपत्र 167 के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
 - सत्यापन हेतु अभिलेख सुरक्षित रखना तथा निर्धारित प्रतिवेदन समय-सीमा का पालन करना।

महत्व

- **कर अपवंचन पर नियंत्रण:** यह क्रिप्टो आय एवं विदेशों में धारित क्रिप्टो परिसंपत्तियों को छिपाने की संभावना को कम करता है।
- **आँकड़ा-आधारित कर प्रशासन को बढ़ावा:** कर प्राधिकरणों को सत्यापित लेन-देन-स्तरीय जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे जोखिम मूल्यांकन एवं कर प्रवर्तन अधिक प्रभावी होगा।
- **वैश्विक मानकों के अनुरूपता:** यह भारत के कर प्रतिवेदन ढाँचे को ओईसीडी के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाता है।

Source: IE

भारत की नवाचार रणनीति की आगामी दिशा

संदर्भ

- भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में हुई प्रगति के अनुरूप अब स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, व्यावसायिक परिपक्वता तथा घरेलू बौद्धिक संपदा स्वामित्व को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

परिचय

- वैश्विक नवाचार सूचकांक अनुसंधान एवं विकास के परिणामों का आकलन करने वाला एक वैश्विक सूचकांक है, जिसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है।

- वर्ष 2015 में भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वीं रैंक थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 38वें स्थान पर पहुँच गई।
- भारत निम्न-मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है।
- वर्ष 2015 से भारत सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर प्रोत्साहन तथा विज्ञान-आधारित नई नीतियों के कारण यह प्रगति संभव हुई है।

Table 1: India's Ranking in 7 Categories of GII 2025

Category	Rank in 7 Categories of GII 2025
Knowledge and Technology Output	22nd
Overall Global Innovation Index	38th
Creative Outputs	42nd
Human Capital and Research	54th
Institutions	58th
Infrastructure	61st
Business Sophistication	64th

- **भारत की आकांक्षाएँ:** भारत सरकार का लक्ष्य वैश्विक नवाचार सूचकांक में अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करना है।
 - सरकार अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश कर रही है।
 - लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान कोष विभिन्न शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण को गति प्रदान करेगा।

भारत को किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है?

- वैश्विक नवाचार सूचकांक की अन्य छह श्रेणियाँ सुधार की व्यापक संभावनाओं को दर्शाती हैं।
- ये श्रेणियाँ हैं—
 - ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
 - सृजनात्मक उत्पाद
 - मानव पूंजी एवं अनुसंधान
 - संस्थागत व्यवस्था
 - अवसंरचना
 - व्यावसायिक परिपक्वता
- इन छह में से पाँच श्रेणियों में भारत की रैंक उसकी समग्र 38वीं रैंक से नीचे है।
- इन क्षेत्रों में सुधार का प्रमुख आधार देश के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र की व्यावसायिक परिपक्वता को सुदृढ़ करना है।

- **व्यावसायिक परिपक्वता श्रेणी के प्रमुख उपघटक: ज्ञान-कर्म** : ज्ञान-आधारित गतिविधियों में कार्यरत रोजगार के अनुपात का आकलन।
- **नवाचार संबंध** : सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग का मूल्यांकन।
- **ज्ञान अवशोषण** : इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी आयात, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का आयात तथा बौद्धिक संपदा के उपयोग हेतु किए गए भुगतानों जैसे संकेतकों को कुल व्यापार के अनुपात में मापा जाता है।

समाधान अपेक्षित प्रमुख चिंताएँ

- **पेटेंट आवेदन**: केवल पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यद्यपि इसका प्रभाव भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग पर पड़ता है।
- भारत में स्वीकृत पेटेंटों तथा उच्च प्रभाव वाले पेटेंटों की संख्या बढ़ाना अगला साझा लक्ष्य होना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकीय नवाचार**: भारत की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकीय नवाचार देश के अपने अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र से ही उत्पन्न होने चाहिए।
- विदेशी नवाचार भारत की सभी चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकते।
- **वित्तपोषण संबंधी सीमाएँ**: सरकार के सुदृढ़ समर्थन के बावजूद भारत में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का निवेश वैश्विक मानकों की तुलना में अभी भी सीमित है, जिससे बड़े स्तर पर नवाचार बाधित होता है।
- **प्रतिभा संरक्षण की चुनौती**: बेहतर अवसरचना, वित्तपोषण तथा कैरियर अवसरों के कारण कुशल शोधकर्ताओं का विदेशों की ओर पलायन अभी भी जारी है।
- **विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग का अभाव**: शिक्षण संस्थानों एवं उद्योगों के बीच सीमित सहयोग अनुसंधान के व्यावसायीकरण में बाधा उत्पन्न करता है।
- **कुशल मानव संसाधन की कमी**: गहन प्रौद्योगिकी एवं बहुविषयक क्षेत्रों में प्रशिक्षित अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञों का अभाव बना हुआ है।

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

- **अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना: 1 लाख करोड़ रुपये** के कोष के साथ स्वीकृत इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास तथा गहन प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

- इसके अंतर्गत दीर्घकालिक, कम अथवा शून्य ब्याज ऋण, इक्विटी निवेश तथा **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान** के माध्यम से गहन प्रौद्योगिकी कोष को वित्तपोषित किया जाएगा।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान**: वर्ष 2023 में स्थापित यह प्रतिष्ठान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2023-28 के दौरान विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये एकत्रण करना है।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022**: इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक भारत को भू-स्थानिक क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है।
- यह नीति भू-स्थानिक आँकड़ों तक पहुँच को उदार बनाते हुए शासन, उद्योग तथा अनुसंधान में उनके उपयोग को बढ़ावा देती है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023**: यह वर्ष 2020 में प्रारंभ किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से गैर-सरकारी संस्थाओं को व्यापक भागीदारी प्रदान की गई।
- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार, वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन**: वर्ष 2023-31 के लिए 6,003.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से क्वांटम प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।
- **जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी नीति, 2024**: यह जैव-विनिर्माण एवं जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रों तथा राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी निर्माण नेटवर्क की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायीकरण को गति मिले।
- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन**: वर्ष 2015 में प्रारंभ इस मिशन के माध्यम से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों तथा सरकारी एजेंसियों को अत्याधुनिक सुपरकंप्यूटिंग प्रणालियों से सशक्त बनाया जा रहा है, जिन्हें **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क** से जोड़ा गया है।
- **भारत अर्धचालक मिशन**: वर्ष 2021 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य अर्धचालक एवं डिस्प्ले विनिर्माण का सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।
- भारत छह राज्यों में 10 अर्धचालक परियोजनाओं को स्वीकृति दे चुका है, जिनमें ओडिशा की पहली वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा भी सम्मिलित है।

- **भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन:** यह मिशन “भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास तथा भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग” की परिकल्पना पर आधारित है।
 - इसके अंतर्गत संगणन क्षमता को 10,000 ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों के प्रारंभिक लक्ष्य से बढ़ाकर 38,000 ग्राफिक्स प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुँचाया गया है, जिससे नवाचार उद्यमों, शोधकर्ताओं एवं उद्योगों को सुलभ कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना उपलब्ध हो सके।
- **अटल नवाचार मिशन:** इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, नवाचार उद्यमों एवं उद्यमियों को सहयोग प्रदान कर बुनियादी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन:** यह मिशन अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा उच्च उत्पादकता, कीट-प्रतिरोधी एवं जलवायु-अनुकूल बीजों के विकास पर केंद्रित है।
- **समुद्री शैवाल मिशन एवं सीखो और कमाओ कार्यक्रम:** ये पहल महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हुए आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देती हैं।

आगे की राह

- वैश्विक नवाचार सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त करने के लिए भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी अपनी नवाचार रणनीति में संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे।
- समग्र वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग के आधारभूत प्रत्येक संकेतक में भारत के प्रदर्शन में सुधार आवश्यक है।
- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में व्यावसायिक परिपक्वता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घरेलू एवं स्वदेशी बौद्धिक संपदा के आवेदकों को अधिक प्रोत्साहन एवं प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त हो।

Source: ORF

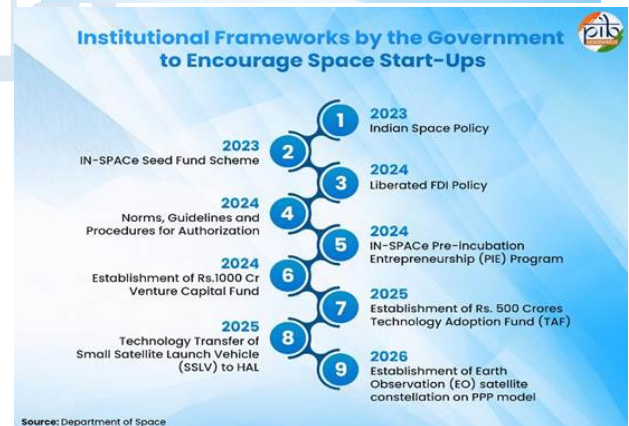
भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए वित्तपोषण

संदर्भ

- ट्रेक्सन की ‘भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी’ रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार उद्यमों ने 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निवेश प्राप्त किया। इसमें बेंगलुरु की हिस्सेदारी कुल निवेश का 57% रही, जिससे भारत के अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के रूप में उसकी स्थिति पुनः सुदृढ़ हुई है।

भारत के अंतरिक्ष परिवर्तन को गति देता निजी क्षेत्र

- वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 8 अरब अमेरिकी डॉलर है तथा वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 2-3% है।
- पिकसेल, ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस तथा बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस जैसी कंपनियाँ भारत के नए अंतरिक्ष युग की अग्रणी बनकर उभरी हैं।
- स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की पहली अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित एकाश्रुगी कंपनी बनी।
- इसका विक्रम-1 भारत द्वारा निजी क्षेत्र में विकसित पहला कक्षीय श्रेणी का प्रक्षेपण यान बना, जिसने सफलतापूर्वक निम्न पृथ्वी कक्षा में पेलोड स्थापित किया।



अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण का महत्त्व

- निजी कंपनियाँ लाभ-आधारित मॉडल पर कार्य करती हैं, जिससे अंतरिक्ष अभियानों एवं उपग्रह प्रक्षेपण की लागत में कमी आती है।
- निजीकरण से अंतरिक्ष उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे दक्षता एवं नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।
- निजी क्षेत्र कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, नौवहन, संचार तथा अन्य क्षेत्रों में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों एवं सेवाओं के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है।

- निजी कंपनियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे वे नवीन परियोजनाएँ शीघ्र प्रारंभ कर सकती हैं।
- इससे रोजगार सृजन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का आत्मसात तथा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार

- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (2020) की स्थापना:** यह निजी कंपनियों के लिए एकल खिड़की नियामक एवं सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।
 - यह अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (2019) के माध्यम से निगमितकरण:** इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया।
 - इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्योगों के माध्यम से उपग्रह एवं प्रक्षेपण यानों का निर्माण तथा वाणिज्यिक उपग्रह सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- **निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र की योजनाएँ:** बीज निधि योजना
 - मूल्य निर्धारण सहायता नीति
 - परामर्श सहायता
 - गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अभिकल्प प्रयोगशाला
 - अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास
 - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं के उपयोग हेतु सहायता
 - गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023:** इस नीति में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट किए गए हैं।
 - इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों, शैक्षणिक जगत, नवाचार उद्यमों तथा उद्योगों की भागीदारी को बढ़ाना है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों का उदारीकरण (2024):** सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को सरल बनाया है।
 - इसका उद्देश्य विशेष रूप से उपग्रह निर्माण एवं प्रक्षेपण सेवाओं में वैश्विक पूंजी एवं प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना है।

- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार नेटवर्क:** यह अंतरिक्ष क्षेत्र के नवाचार उद्यमों एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक विशिष्ट मंच है।

चुनौतियाँ

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अत्यधिक महँगी है तथा इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, यह क्षेत्र कुछ चुनिंदा बड़े औद्योगिक समूहों के प्रभुत्व की ओर अग्रसर हो सकता है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उससे संबंधित अवसंरचना के विकास तथा संचालन के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- नवाचार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **बौद्धिक संपदा अधिकारों** का प्रभावी संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
- भारतीय निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में **स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन** जैसी स्थापित कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सरकार द्वारा किए गए सुधारों तथा सशक्त निजी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण एक नए युग के द्वार पर खड़ा है।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023**, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण तथा समर्पित वित्तपोषण पहलों ने अंतरिक्ष मूल्य श्रृंखला को संभावित भागीदारों के लिए खोल दिया है।
- इन सुधारों ने नवाचार उद्यमों की बढ़ती संख्या, स्वदेशी नवाचार तथा विस्तारित वाणिज्यिक गतिविधियों पर आधारित एक गतिशील अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहित किया है।

Source: TH

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र

समाचार में

- केंद्र सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाट के 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने हेतु सातवीं प्रारूप अधिसूचना जारी की है।

पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत पर्वतमाला है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु सहित छह राज्यों में फैली हुई है।

- यह भारत में स्थित विश्व के 36 जैव-विविधता हॉटस्पॉटों में से चार में से एक है।
- लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला हिमालय से भी अधिक प्राचीन है।
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 2018 में इसे विश्व के आठ प्रमुख जैव-विविधता हॉटस्पॉटों में सम्मिलित किया।
- भारत में स्थित अन्य तीन जैव-विविधता हॉटस्पॉट हैं—
 - ♦ हिमालय
 - ♦ भारत-म्यांमार क्षेत्र
 - ♦ सुंडालैंड
- यहाँ विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें—
 - ♦ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
 - ♦ घासभूमियाँ
 - ♦ मायारिस्टिका दलदली वन
 - ♦ विशिष्ट शोला वन
- इन पारिस्थितिकी तंत्रों में अनेक वनस्पति एवं जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से अनेक स्थानिक हैं।
- यह सिंह-पूँछ मकाक, नीलगिरि तहर तथा बाघ जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है।
- कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, मांडोवी, पेरियार तथा शरावती जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत का जल भंडार कहा जाता है।

पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकीय महत्त्व

- पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, अत्यंत समृद्ध पारिस्थितिकीय एवं जैव-विविधता संपदा का धनी है और भारत तथा विश्व की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहरों में से एक है।
- इसकी असाधारण जैव-विविधता, स्थानिक प्रजातियों की समृद्धि तथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय एवं जलवायु प्रक्रियाओं को बनाए रखने में इसकी भूमिका इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाती है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जलवायु नियामक का कार्य करता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर यह घने वनों एवं अनेक नदियों के अस्तित्व को बनाए रखता है, जिन पर करोड़ों लोगों की आजीविका निर्भर करती है।

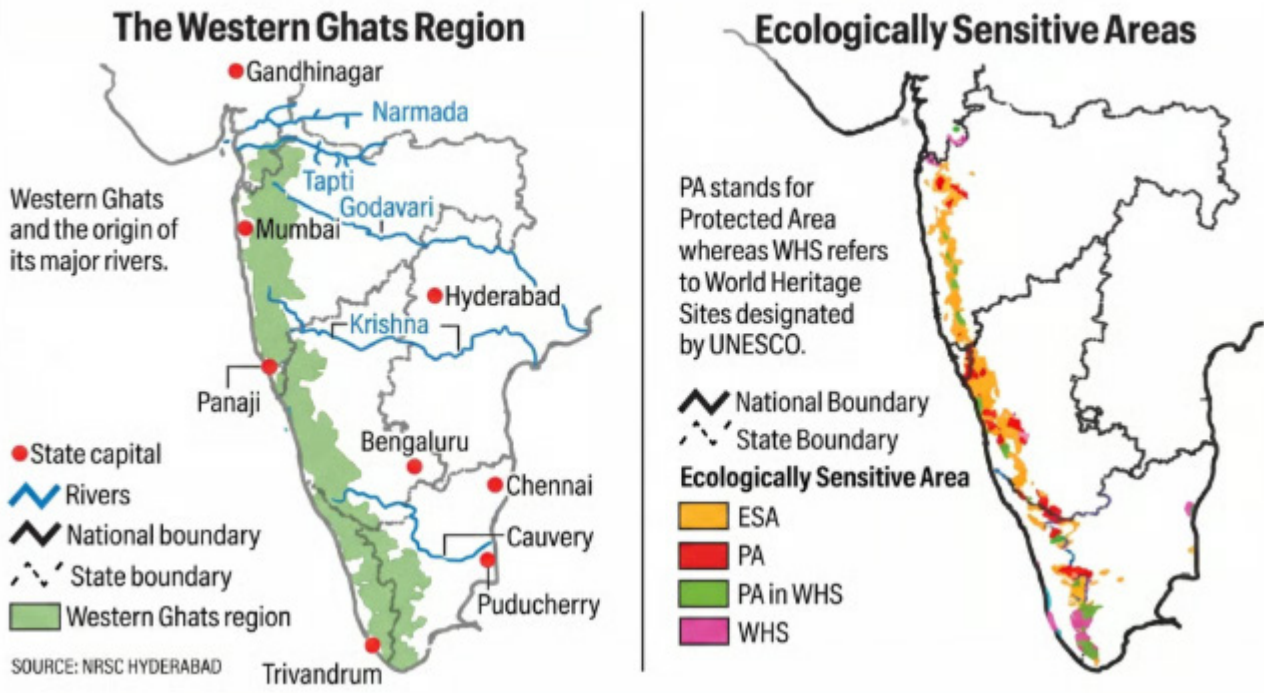
पश्चिमी घाट के समक्ष प्रमुख खतरे

- बड़े बाँधों, सड़कों एवं रेलमार्गों के विस्तार से प्राकृतिक आवास खंडित हो रहे हैं, नदी पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं तथा जैव-विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- बढ़ते तापमान, वर्षा के परिवर्तित स्वरूप तथा आवास क्षेत्रों में बदलाव के कारण पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहे हैं और अनेक प्रजातियाँ अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होने को विवश हैं।
- पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से अपशिष्ट, वन्यजीवों में व्यवधान तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं।
- यूकेलिप्टस एवं बबूल जैसी बाह्य प्रजातियाँ स्थानीय वनस्पतियों का स्थान ले रही हैं, जिससे जैव-विविधता में कमी तथा वनों के पुनर्जनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- वृक्षारोपण, कृषि विस्तार, अवैध कटाई, अतिक्रमण एवं अपशिष्ट निपटान के कारण प्राकृतिक आवास निरंतर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

पश्चिमी घाट के लिए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए)

- पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों के आसपास निर्धारित बफर क्षेत्र होते हैं, जिनका उद्देश्य खनन, जलविद्युत परियोजनाओं तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना है।
- गुजरात, गोवा एवं महाराष्ट्र में प्रस्तावित क्षेत्रों के सीमांकन पर लगभग सहमति बन चुकी है।
- छोटे प्रभावित राज्य तमिलनाडु को भी इस विषय पर कोई प्रमुख आपत्ति नहीं है।
- गतिविधियाँ
 - ♦ प्रतिबंधित
 - खनन
 - प्रदूषणकारी उद्योग
 - बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
 - खतरनाक पदार्थों का उपयोग
 - अपशिष्टों का निपटान

• THE EXTENT OF DEMARCATION



- ♦ विनियमित
 - वृक्षों की कटाई
 - होटल निर्माण
 - सड़कों का चौड़ीकरण
 - भूजल का दोहन
 - रात्रिकालीन यातायात
 - बाह्य प्रजातियों का प्रवेश
- ♦ अनुमेय
 - पारंपरिक कृषि एवं बागवानी
 - वर्षा जल संचयन
 - जैविक खेती
 - नवीकरणीय ऊर्जा
 - हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन की प्रक्रिया वर्ष 2010 में **माधव गाडगिल समिति** के गठन से प्रारंभ हुई।
- भारत के प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद् **माधव गाडगिल** ने अगस्त 2011 में अपनी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति ने पश्चिमी घाट के संपूर्ण **1,29,037 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने

की अनुशंसा की तथा विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर अलग-अलग स्तर के प्रतिबंध सुझाए।

- प्रभावित राज्यों के विरोध के पश्चात केंद्र सरकार ने अगस्त 2012 में इस रिपोर्ट को **पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन** की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्यदल को भेजा।
- **कस्तूरीरंगन समिति** ने लगभग **60,000 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र को पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा की।

- यह अनुशांसा प्राकृतिक परिदृश्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य के वर्गीकरण पर आधारित थी।
- प्राकृतिक परिदृश्य में लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैली सतत प्राकृतिक वनस्पति पट्टी को सम्मिलित किया गया।
- सांस्कृतिक परिदृश्य में मानव बस्तियों, कृषि एवं बागानों से प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया गया।
- पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रथम प्रारूप अधिसूचना मार्च 2014 में कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी की गई।

राज्यों की आपत्तियाँ

- इस प्रस्ताव का विभिन्न राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों, बागान मालिकों तथा राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया है। उनका मानना है कि इससे विकास, निर्माण कार्यों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- केरल ने 31 गाँवों (मुख्यतः इडुक्की एवं वायनाड) को बाहर रखते हुए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र को 9,993.7 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 8,805 वर्ग किलोमीटर करने का अनुरोध किया है, जिसे केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने स्वीकार नहीं किया।
- कर्नाटक वर्तमान प्रस्ताव का निरंतर विरोध कर रहा है तथा कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रश्न उठा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य से वैकल्पिक संरक्षण ढाँचा प्रस्तुत करने को कहा है।
- गोवा ने सत्तारी तालुका के 21 गाँवों को प्रस्तावित पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र से बाहर रखने की मांग की है।

निष्कर्ष

- पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र की अवधारणा का उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण एवं सतत विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है।
- इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समावेशी शासन, सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जिससे आजीविका की सुरक्षा के साथ-साथ इस पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी को सुदृढ़ करना तथा अनुमेय गतिविधियों के संबंध में प्रभावी जन-संवाद स्थापित करना पारदर्शिता बढ़ाने,

जन-आशंकाओं को कम करने तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं बाढ़, भूस्खलन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति क्षेत्र की सहनशीलता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

गुरु रविदास

संदर्भ

- संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ।

परिचय

- गुरु रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के प्रमुख भक्ति संत, कवि एवं समाज सुधारक थे, जो समानता, भक्ति एवं सामाजिक न्याय के संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं।
- उन्हें रविदासिया धर्म का प्रवर्तक माना जाता है।
- जीवन एवं शिक्षाएँ: उन्होंने जाति-आधारित भेदभाव का दृढ़ता से विरोध किया तथा वंचित समुदायों के उत्थान के लिए कार्य किया।
- उन्होंने 'बेगमपुरा' (दुःख, भय एवं भेदभाव से मुक्त नगर) की परिकल्पना प्रस्तुत की।
- उन्होंने "मन चंगा तो कठौती में गंगा" जैसी प्रसिद्ध उक्ति के माध्यम से समाज को कर्म, आंतरिक पवित्रता एवं सदाचार का व्यापक संदेश दिया।
- विरासत: उनकी भक्तिमय रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, में संकलित हैं।
- हिंदू धर्म की दादूपंथी परंपरा के पंचवाणी ग्रंथ में भी संत रविदास की अनेक रचनाएँ सम्मिलित हैं।
- भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने गुरु रविदास द्वारा प्रतिपादित मूल्यों को संवैधानिक सिद्धांतों में अभिव्यक्ति प्रदान की।

स्रोत: AIR

ई-जीरो प्रथम सूचना प्रतिवेदन(FIR) प्रणाली

संदर्भ

- सरकार ने 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए ई-जीरो प्रथम सूचना प्रतिवेदन(FIR) लागू की है।

परिचय

- ई-जीरो प्रथम सूचना प्रतिवेदन(FIR) एक डिजिटल विधि-प्रवर्तन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों के लिए स्वतः प्रथम सूचना प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।
- इस प्रणाली का विकास गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा किया गया है।
- यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) पर आधारित है, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी घटित हुआ हो।
- यह प्रणाली कैसे कार्य करती है?: पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिवेदन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करता है अथवा 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करता है।
- यदि वित्तीय हानि राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो संबंधित राज्य के ई-साइबर अपराध पुलिस थाने में स्वतः ई-जीरो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज हो जाता है; प्रारंभिक चरण में पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- इसके पश्चात यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन तुरंत उस पुलिस थाने को भेज दिया जाता है, जिसके पास मामले का क्षेत्राधिकार होता है।
- शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर संबंधित पुलिस थाने जाकर इसे नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन में परिवर्तित कराना होता है, जिसके बाद विस्तृत जांच प्रारंभ की जाती है।
- महत्त्व:
 - संघीय व्यवस्था से संबंधित पहलू: संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं।
 - यह प्रणाली राज्यों की स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर केंद्र द्वारा विकसित डिजिटल मंच के माध्यम से संचालित होती है।
 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की उपयोगिता: यह नवीन आपराधिक विधि सुधारों (दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के व्यावहारिक उपयोग का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी है।
 - अपराध नियंत्रण हेतु डिजिटल सुशासन: राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रतिवेदन पोर्टल, अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का एकीकृत संचालन भारत में विधि-प्रवर्तन हेतु सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना के निर्माण का संकेत देता है।

स्रोत: TH

द्वीप्ति योजना (विकेंद्रीकृत महिला सशक्तीकरण : ऊर्जा एवं नीतिगत रूपांतरण के माध्यम से समावेशन)

संदर्भ

- छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वीप्ति योजना (विकेंद्रीकृत महिला सशक्तीकरण : ऊर्जा एवं नीतिगत रूपांतरण के माध्यम से समावेशन) प्रारंभ की है।

परिचय

- यह भारत की प्रथम राज्य स्तरीय नीति है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक रूप से वितरित नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य शृंखला से जोड़ा गया है।
- यह योजना छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण मिशन के अंतर्गत संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है।
- योजना का उद्देश्य पाँच वर्षों में—
 - महिलाओं के नेतृत्व वाले 5,000 नवीकरणीय ऊर्जा उद्यमों की स्थापना,
 - 50,000 रोजगार सृजित करना,
 - राज्य के 5 लाख परिवारों तथा 10,000 सार्वजनिक संस्थानों तक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के माध्यम से महिलाओं को छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- साथ ही, प्रशिक्षित 'सौर दीदियों' के समूहों के माध्यम से समुदायों के साथ समन्वय स्थापित कर विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाता है।

स्रोत: TH

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल एवं पंचायत राज संस्थाओं के लिए आदर्श स्वस्रोत राजस्व नियम

संदर्भ

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ किया तथा पंचायत राज संस्थाओं के लिए आदर्श स्वस्रोत राजस्व नियम जारी किए।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम

- यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों एवं विकास खंड पंचायतों को स्थानीय परिसंपत्तियों एवं अवसरों की पहचान कर उनका विकास करने में सक्षम बनाना है।
- मंत्रालय के समर्पित तकनीकी सहयोग से इन परिसंपत्तियों एवं अवसरों को बैंक योग्य तथा राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे पंचायतों के स्वस्रोत राजस्व में सतत वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- इन परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था निम्नलिखित माध्यमों से की जाएगी—
 - सार्वजनिक-निजी भागीदारी
 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्राप्त योगदान
 - अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण
 - बैंक ऋण
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा आवास एवं शहरी विकास निगम इस कार्यक्रम के संस्थागत भागीदार हैं।
- आवेदन हेतु पात्रता—
 - ग्राम पंचायतों का न्यूनतम 50 लाख रुपये का स्वस्रोत राजस्व होना चाहिए।
 - विकास खंड पंचायतों का न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का स्वस्रोत राजस्व होना चाहिए।
 - संबंधित पंचायत का कार्यकाल कम-से-कम तीन वर्ष शेष होना चाहिए।
 - विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए इन मानदंडों में शिथिलता प्रदान की गई है।

समर्थ पंचायत पोर्टल

- यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित स्वस्रोत राजस्व प्रबंधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करना है।
 - यह पोर्टल ग्राम पंचायतों को स्वस्रोत राजस्व के संपूर्ण चक्र का डिजिटल प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है।
 - इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं—
 - करदाताओं का पंजीकरण
 - कर मांग का सृजन
 - ऑनलाइन भुगतान
 - राजस्व संग्रह
 - वास्तविक समय में निगरानी

पंचायत राज संस्थाओं के लिए आदर्श स्वस्रोत राजस्व नियम

- पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आदर्श स्वस्रोत राजस्व नियम तैयार किए हैं।
- सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार इन नियमों का उद्देश्य राज्यों को पंचायतों के राजस्व के आकलन, संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए पारदर्शी, एकरूप एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।
- इन नियमों में निम्नलिखित राजस्व स्रोतों को सम्मिलित किया गया है—
 - संपत्ति कर
 - उपयोगकर्ता शुल्क
 - विभिन्न प्रकार की फीस
 - अन्य गैर-कर राजस्व

स्रोत: pib

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बना

संदर्भ

- बिम्को-अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मंडल नाविक कार्यबल रिपोर्ट, 2026 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया है।

परिचय

- भारत वैश्विक जहाजरानी उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराता है।
- वैश्विक नाविक कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% है।
- इस आधार पर भारत का स्थान फिलीपींस के बाद दूसरा है, जबकि चीन, रूस तथा इंडोनेशिया इसके बाद आते हैं।
- अधिकारी श्रेणी में भारत की स्थिति विशेष रूप से मजबूत है, जहाँ विश्व के कुल अधिकारी कार्यबल में इसकी हिस्सेदारी 13.41% है।
- वैश्विक स्तर पर नाविकों की उपलब्धता 25.7 लाख है, जबकि उनकी मांग 25.5 लाख तक पहुँच चुकी है, जिससे वैश्विक श्रम बाजार में कुशल नाविकों की कमी स्पष्ट होती है।

भारत का लक्ष्य

- भारत का लक्ष्य वैश्विक नाविक कार्यबल में अपनी हिस्सेदारी 12.16% से बढ़ाकर 20% करना है।

- **महत्त्व:** वैश्विक जहाजरानी उद्योग में योग्य अधिकारियों की निरंतर कमी को देखते हुए भारत की बढ़ती समुद्री शिक्षा व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रणाली तथा प्रगतिशील नीतिगत ढाँचा भविष्य की वैश्विक मांग को पूरा करने की दिशा में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करता है।

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

समाचार में

- प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके तहत 39.7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं तथा 27,343.9 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से 48 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

- इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ किया गया।
- यह विश्व का सबसे बड़ा घरेलू छत-आधारित सौर ऊर्जा कार्यक्रम बन चुका है।
- योजना के अंतर्गत 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपये तक के बिना जमानत ऋण पर 6.75% की रियायती ब्याज दर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इसकी स्वीकार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने पंजीकरण कराया है तथा मई 2026 तक 33 लाख से अधिक छत-आधारित सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 12 गीगावाट से अधिक क्षमता जुड़ी है।
- वर्तमान में छत-आधारित सौर ऊर्जा, आवासीय सौर क्षमता का लगभग 45% हिस्सा है तथा वर्ष 2024-2026 के दौरान इसकी स्थापना दर में 85% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जून के अंत तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता (जिसमें उपयोगिता-स्तरीय, छत-आधारित तथा ग्रिड से पृथक परियोजनाएँ सम्मिलित हैं) 162.15 गीगावाट रही।
- यह योजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

- मार्च 2026 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। साथ ही, यह योजना ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने तथा विद्युत वितरण कंपनियों पर सब्सिडी के भार को कम करने में भी सहायक है।

स्रोत: TH

एंड्रोमेडा आकाशगंगा

समाचार में

- खगोलविदों ने हबल अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग कर विगत 50 करोड़ वर्षों के दौरान एंड्रोमेडा आकाशगंगा में तारों के निर्माण का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा

- इसे मेसियर 31 (एम31) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक सर्पिल आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 25 लाख प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- यह आकाशगंगा (मिल्की वे) के सबसे निकट स्थित सर्पिल आकाशगंगा है।
- यह अंधकारमय आकाश में नंगी आँखों से दिखाई देने वाली सबसे दूरस्थ खगोलीय वस्तु है।
- इसका आभासी परिमाण 3.1 है, जिसके कारण यह अंधकारमय अथवा मध्यम प्रकाश प्रदूषण वाले आकाश में नंगी आँखों से देखी जा सकती है।
- इस आकाशगंगा का प्रथम लिखित वर्णन फ़ारसी खगोलविद अब्द अल-रहमान अल-सूफी ने वर्ष 964 ईस्वी में अपनी पुस्तक 'स्थिर तारों का ग्रंथ' में किया था।

स्रोत: TH

बुकर पुरस्कार 2026

संदर्भ

- बुकर पुरस्कार 2026 की दीर्घसूची घोषित कर दी गई है, जिसमें रोमांचक साहित्य, दुष्टोपियाई विज्ञान कथा तथा प्रेम कथाओं सहित विभिन्न विधाओं की 13 पुस्तकें सम्मिलित हैं।

बुकर पुरस्कार के बारे में

- बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष उस लेखक को प्रदान किया जाता है, जिसकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक 1 अक्टूबर से 30 सितंबर के बीच यूनाइटेड किंगडम और/या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो।

- अंतिम सूची में चयनित प्रत्येक छह लेखक को 2,500 पाउंड स्टर्लिंग प्रदान किए जाते हैं, जबकि विजेता को 50,000 पाउंड स्टर्लिंग का पुरस्कार दिया जाता है।
- वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड स्ज़ाले को उनके उपन्यास 'फ्लेश' के लिए प्रदान किया गया।
- बुकर पुरस्कार प्राप्त भारतीय लेखक:
 - ♦ अरुंधति रॉय — द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स
 - ♦ किरण देसाई — द इनहेरिटेस ऑफ़ लॉस
 - ♦ अरविंद अडिगा — द व्हाइट टाइगर

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- पूर्व में इसे मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे कथा साहित्य (उपन्यास अथवा लघुकथा-संग्रह) के लिए प्रदान किया जाता है, जो मूल रूप से अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो, बाद में उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया हो तथा वह यूनाइटेड किंगडम और/या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो।
- यह पुरस्कार अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देता है।
- 50,000 पाउंड स्टर्लिंग की पुरस्कार राशि लेखक एवं अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है।

स्रोत: TH

